"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 158] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2010

अधिसूचना

क्रमांक 5436/डी-1360/21-ब/छ. ग./2010.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित है, वर्तमान में प्रभावशील इस विभाग के अधिसूचना क्र. 2459/डी-813/21-ब/छ. ग./06 दि. 22-03-2006 द्वारा निर्धारित रिटेनर फीस को पुनरीक्षित करते हुए, कालम (3) में उल्लेखित मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में तथा मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में कालम (4) में उल्लेखित दैनिक पारिश्रमिक दिनांक 01-04-2010 से नियत करता है :—

क्र.	पदनाम	पुनरीक्षित पारिश्रमिक	मुख्यालय से बाहर किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में उपस्थित होने की दशा में दैनिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शासकीय अधिवक्ता/ अति. शासकीय अधिवक्ता.	कुल रु. 35,000/- (पैंतीस हजार रु.) निश्चित	रु. 700/- (रु. सात सौ) परन्तु 1 दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि 2,000/- से अधिक नहीं.
2.	उप शासकीय अधिवक्ता	कुल रु. 30,000/- (तीस हजार रु.) निश्चित	रु. 500/- (रु. पांच सौ) परन्तु 1 दिन में एक से अधिक प्रकरणों में कुल राशि 1,000/- से अधिक नहीं.

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद्-(3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्र. 193/27298 वित्त विभाग/ब-3/2010 दि. 20-5-2010 द्वारा प्रदान की गई है. अत: यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.